LABOUR DEPARTMENT

The 14th March, 1988

No. 13/124/83-6Lab.—In pursuance of provisions of clause (ii) of sub-rule (4) (2) of rule 66 of Punjab Factory Rules, 1952 and in exercise of the powers conferred by section 112 of the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948), the Governor of Haryana is pleased to recognise the Diploma in Industrial Safety awarded by Board of Technical Education of the State of Maharashtra, Uttar Pradesh, West Bengal and Tamilnadu in respect of the course being conducted by the following institutions for the purposes of appointment of Safety Officers in factories in State of Haryana.

1. Central Labour Institute, Bombay	Diploma in Industrial Safety.
2. Regional Labour Institute, Kanpur	Ditto
3. Regional Labour Institute, Calcutta	Ditto
4. Regional Labour Institute, Madras	Ditto

MEENAXI ANAND CHOUDHRY,

Commissioner & Secretary to Government, Haryana,
Labour & Employment Department.

श्रम विभाग

दिनांक 14 मार्च, 1988

सं० 13/124/83-6 श्रम.—पंजाब कारखाना नियमावली, 1952 के नियम 66 के उप नियम (4)(2) के खंड (II) के उपबन्धों का अनुसरण करते हुए तथा कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा (12) (1948 के केन्द्रीय अधिनियम 63) के उपबन्धों की शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा कोर्स जो कि निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और तामिलनाडू के टैकनीकल बोर्ड द्वारा प्रदान किये जाते हैं, जो हरियाणा राज्य में स्थित कारखानों में सैफ्टी आफिसर की नियुक्ति के लिये योग्यता के लिये मान्यता प्रदान करते है ।

1. सैन्ट्रल लेबर इन्स्टीच्यूट, बम्बई	डिप्लोमा इन इन्डस्ट्रीयल सैफ्टी
2. रीजनल लेबर इन्स्टीच्यूट, कानपुर	उक्त
3. रीजनल लेबर इन्स्टीच्यूट, कलकत्ता	उक्त
4. रीजनल लेबर इन्स्टीच्यूट, मद्रास	उक्त

मीनाक्षी आनन्द चौधरी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

LABOUR DEPATMENT

The 21st, March, 1988

No. 2(150) 85-2Lab.—In exercice of the powers conferred by sub-section (1) of section 15 of the Payment of Wages Act, 1936, the Governor of Haryana, hereby appoints, Joint Labour Commissioner, Haryana, and all Deputy Labour Commissioners in Haryana, who have already been appointed as Commissioners under the Workman's Compensation Act, 1923,—*vide* Haryana Government, Labour Department, notification No. 12 (192) 78-4Lab, dated the 28th June, 1983, to be the authorities to hear and decide all claims arising out of delay in payment of wages or deduction from the wages, of the persons employed or paid in respect of only those matter which will be referred to them by the State Government.

MEENAXI ANAND CHAUDHRY,

Commissioner and Secretary to Government, Haryana,
Labour and Employment Department.

श्रम विभाग

दिनांक 21 मार्च 1988

सं० 2(150)85-2श्रम.—मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 15 की उपधारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा संयुक्त श्रम आयुक्त, हरियाणा एवं राज्य के सभी उप श्रम आयक्तों को, जो पहले ही कर्मकार प्रतिकार अधिनियम, 1923, के अधीन हरियाणा सरकार श्रम विभाग अधिसूचना सं० 12(192)78-4श्रम, दिनांक 28 जून, 1983 के अधीन आयुक्त किए गए हैं, नियोजित व्यक्तियों को देरी से दी गई मजदूरी तथा मजदूरी से की गई कटौती से उत्पन्न सभी दावों को, सुनने तथा निर्णय करने के लिए प्राधिकारी नियुक्त करते हैं, वे केवल उन्हीं मामलों के सम्बन्ध में भुगतान करेंगे जो उन्हें राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगे।

मीनाक्षी आनन्द चौधरी,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

28347CS(H)—Govt. Press, U.T., Chd.